

कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक

चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय, कचान्दुर, दुर्ग (छ.ग.)

क्रमांक/रखरखाव/CCMGCH/2025/1312

दुर्ग, दिनांक/23-9-25

//रुचि की अभिव्यक्ति//

विषय:-चिकित्सालय के विभागों में स्थापित 06 नग Boyles Apparatus मशीन का व्यापक रखरखाव/मरम्मत तथा वार्षिक रखरखाव अनुबंध (ए.एम.सी.) के संबंध में।

--XX--

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय कचान्दुर दुर्ग (छ.ग.) के विभिन्न विभागों में स्थापित Boyles Apparatus मशीन का व्यापक रखरखाव/मरम्मत एवं वार्षिक रखरखाव अनुबंध (ए.एम.सी.) हेतु रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित किया जाता है, जिसके लिए निम्नलिखित प्रारूप में ही कोटेशन/प्रस्ताव प्रस्तुत करें :-

S.No.	Department Name	Equipment Name	Make	Qty	वार्षिक रखरखाव दर प्रति नग	कर विवरण	कुल राशि प्रति नग
1.	GYN OT	Boyles Apparatus	-	02 Nos.			
2.	Eye OT	Boyles Apparatus	-	01 Nos.			
3.	Casualty OT	Boyles Apparatus	Life Guard Medicals	02 Nos.			
4.	Major OT	Boyles Apparatus	Prime Medical	01 Nos.			

वार्षिक रखरखाव अनुबंध हेतु नियम एवं शर्तें :-

1. प्रस्ताव के प्राप्त दर की वैधता एक वर्ष तक रहेगी जिस हेतु 100रु. नॉन जूडिशल स्टॉम्प पेपर में अनुबंध किया जायेगा। अनुबंध दिनांक से प्रस्ताव एक वर्ष के लिए मान्य होगी।
2. कोटेशन में दर के साथ जी.एस.टी. या कोई अन्य टैक्स हो तो स्पष्ट उल्लेख करे। दर अंको एवं शब्दों दोनों में अंकित की जानी चाहिए।
3. रखरखाव हेतु चिकित्सालय में भौतिक निरीक्षण स्वयं कर दर प्रस्तुत करें। " जहाँ है जैसा है" के शर्त पर रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित है।
4. वार्षिक रखरखाव अनुबंध (ए.एम.सी.) की दर मशीनों की वर्तमान स्थिति को देखकर ही उल्लेखित करें। साथ ही मरम्मत कार्य में लगने वाले पार्ट्स की दर भी पृथक से उल्लेख करें, जो अनुबंध दिनांक से एक वर्ष के लिये मान्य होगी।
5. आपातकालीन स्थिति (दूरभाष) पर बुलाये जाने पर 24 घंटे के भीतर सर्विस देना अनिवार्य होगा।
6. रखरखाव का कार्य संतोषप्रद होने पर समान शर्तें एवं दरों पर वैधता बढ़ाई जा सकती है।
7. किसी भी प्रस्ताव को स्वीकृत अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय, कचान्दुर, दुर्ग को होगा, जिसका कारण बताने के लिये कार्यालय बाध्य नहीं है।
8. उक्त कार्य निर्माता/अधिकृत पंजीकृत अनुभवी फर्म एवं सर्विस प्रोवाइडर उक्त प्रस्ताव में शामिल हो सकते हैं।

9. सेवा प्रदाय किये जाने के उपरांत सर्विस रिपोर्ट प्रदाय करनी होगी जो रखरखाव शाखा के तकनीकी सदस्य द्वारा सत्यापित करेगे। तथा कोई भी कार्य रखरखाव शाखा के तकनीकी सदस्य/जूनियर इंजीनियर के देखरेख में ही संपादित होगी।
10. वार्षिक रखरखाव अनुबंध (ए.एम.सी.) प्रदाय की गई सर्विस दर शामिल होगी। वार्षिक रखरखाव का भुगतान 06-06 माह की अवधि में किया जायेगा, प्रथम भुगतान वार्षिक रखरखाव के 06 माह पूर्ण करने के पश्चात् एवं अंतिम भुगतान 01 वर्ष सफलतापूर्वक सेवा प्रदाय किये जाने के पश्चात् किया जायेगा। यदि वार्षिक रखरखाव संतोषप्रद नहीं किये जाने की स्थिति में आदेश निरस्त कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
11. समस्त क्रय/रखरखाव कार्य की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 अथवा प्रचलित शासन के भंडार क्रय नियम/शासकीय नियम के अनुसार शासित होंगे।
12. वार्षिक रखरखाव की आदेश में वर्णित मशीनों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। दर्शित संख्या अनुमानित है। शर्तों के पालन नहीं किये जाने की स्थिति में या किसी भी विवाद की स्थिति में आदेश निरस्त किया जा सकता है एवं नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती।
13. राज्य शासन या उसके किसी भी विभाग द्वारा किसी भी फर्म को काली सूची (ब्लैक लिस्टेड) में डाली जाने वाली फर्म मान्य नहीं होगी। उक्त संबंध में उन्हे शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त कार्य अत्यधिक मानक और बेहतर गुणवत्ता की होना चाहिए।
14. आपके द्वारा प्रदाय की गई समस्त जानकारी सत्य है एवं मुझे आपके सभी नियम एवं शर्तें मान्य हैं के संबंध में आपको एक नॉन जूडिशियल स्टॉम्प पेपर में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अतः उपरोक्तानुसार कोटेशन/प्रस्ताव दर मुहरबंद लिफाफे में जारी दिनांक से 15 दिवस के भीतर शाम 5:00 बजे तक जमा करने की व्यवस्था करें। विलंब से प्राप्त कोटेशन/प्रस्ताव मान्य नहीं की जावेगी।

KSI

संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक

चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय

सम्बद्ध चिकित्सालय, कचांदूर, दुर्ग (छ.ग.)

OK

पृ. क्रमांक/रखरखाव/CCMGMCH/2025/1313

दुर्ग, दिनांक/23-9-25

प्रतिलिपि:-

अधिष्ठाता, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदूर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।

KSI

संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक

चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय

सम्बद्ध चिकित्सालय, कचांदूर, दुर्ग (छ.ग.)

OK